प्रेस नोट

दिनांक 10.10.2020

सराहनीय कार्य थाना गौरीगंज जनपद अमेठी

सनसनी खेज हत्या की घटना का 48 घण्टे में सफल अनावरण, 01 अभियुक्त गिरफ्तार , 01 अदद बांका (आलाकत्ल) व मृतक का मोबाइल, घटना में प्रयुक्त खून आलूद कपड़े बरामद।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री दिनेश सिंह के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी गौरीगंज श्री संतोष सिंह के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों की धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.10.2020 को प्र0नि0 अरुण कुमार द्विवेदी थाना गौरीगंज मय हमराह द्वारा मु0अ0स0 482/20 धारा 302,34 भादवि में हत्या की घटना में प्रकाश में आये अभियुक्त गुंजन उर्फ पर पीरेश श्रीवास्तव पुत्र स्व0 सुरेश कुमार श्रीवास्तव नि0 महिमापुर थाना गौरीगंज जनपद अमेठी को मुसाफिरखाना मोड़ कस्बा गौरीगंज से समय 09:00 बजे प्रातः में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर के पास से 01 अदद बांका आलाकत्ल व मृतक का मोबाइल, घटना के समय अभियुक्तगण द्वारा जो कपड़ा पहना गया था वह कपड़ा खून आलूद बरामद किया गया। थाना गौरीगंज द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ में अभियुक्त पीरेश श्रीवास्तव ने बताया कि मैं और मेरी मां साधना श्रीवास्तव ने मिलकर मां के मामा मृतक श्रीकृष्ण उर्फ किशन की हत्या दिनांक 07/08.10.2020 की रात्रि में कर दिया क्योंकि मां के मामा श्री कृष्ण अपनी जमीन व बैंक में जमा पैसे को निकालकर जनपद रामपुर नि0 रामगोपाल को देना चाहते थे हम लोगों को नहीं देना चाहते थे तथा सहारा में 12 एकाउंट में 02 लाख रुपये वर्ष 2014 से जमा थे जिसका नामिनी पीरेश उर्फ गुंजन था जो पैसा अब लगभग 4 लाख 30 हजार हो गया वह पैसा भी रामगोपाल को ही देना चाहता था। इस रंजिश के कारण मैं और मेरी मां द्वारा श्रीकृष्ण की हत्या कर दी गई तथा हत्या में प्रयुक्त बांका व मृतक का मोबाइल तथा खून आलूद कपड़ा मेरे निशानदेही पर पुलिस ने बरामद करा लिया है। अभियुक्त ने जुर्म स्वीकार किया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.10.2020 को वादिनी श्रीमती साधना देवी पत्नी स्व0 श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव नि0 ग्राम महिमापुर सरायभागमानी थाना गौरीगंज द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 08.10.2020 को मैं घर के बरामदे में सो रही थी कि बगल की चारपाई पर मेरे मामा श्री कृष्ण पुत्र दौलत नि0 धर्म सिंह का पुरवा मजरे किटायावां थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी सो रहे थे कि रात में बांके से मेरे मामा जी की हत्या जमीन व सम्पत्ति के लालच में रामजी व उसके साथी द्वारा कर दी गई है। इस सूचना पर मु0अ0स0 482/20 धारा 302,34 भादवि पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का स्थानः- मुसाफिरखाना मोड़ कस्बा गौरीगंज **दिनांकः-**10.10.2020 **समयः-** 09:00 बजे प्रातः

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- गुंजन उर्फ पर पीरेश श्रीवास्तव पुत्र स्व0 सुरेश कुमार श्रीवास्तव नि0 महिमापुर थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।

बरामदगीः- (आलाकत्ल बरामदगी का स्थान अभियुक्त गुंजन उर्फ पीरेश के घर के पास)

1. 01 अदद बांका आलाकत्ल।
2. खून आलूद कपड़ा।
3. 01 अदद मृतक का मोबाइल।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0स0 482/20 धारा 302,34 भादवि थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. प्र0नि0 अरुण कुमार द्विवेदी थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 शिवबक्श सिंह थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
3. उ0नि0 संदीप राय थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
4. का0 अंगेश कुमार थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
5. का0 फारूख खां थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
6. म0का0 अंजली थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
7. घटना के अनावरण में जनपद अमेठी एसओजी व सर्विलांस टीम का सहयोग।

PRESS NOTE